PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Sat, 17 Jun 2017, Page 5
Width: 24.21 cms, Height: 22.89 cms, a3r, Ref: 46.2017-06-17.51

अब गांवों का होगा नियोजित विकास

अनिल बैजल ने 95 गांवों को शहरीकृत करने संबंधी अधिसूचना को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी के 95 गांवों को शहरीकृत घोषित करने के बाद अब योजना अनुसार इन गांवों में विकास कार्य शुरू करने के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इससे राजधानी में नियोजित विकास और किफायती आवास योजना को मूर्त रूप देने का काम शुरू हो पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र से शहरीकृत क्षेत्र में शामिल यह 95 गांवों को पांच जोन में विभाजित किया गया है। जोन के वन में 20 गांव, जोन एल में 30 गांव, जोन एन में 21 गांव जोन पी टू में 23 गांव और जोन जे में एक गांव शामिल है। डीडीए इन क्षेत्रों में बुनियादी और सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे सीवर, पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, बस अड्डा आदि का विकास करेगा।

उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा विकास कार्य शुरू करने की मंजूरी देने के साथ ही शहरीकृत गांवों में लैंड पूलिंग योजना को पंख लग जाएंगे। इन गांवों को शहरीकृत गांव का दर्जा मिलने के साथ ही अब न केवल गांव में रहने वालों को फायदा मिलेगा। बल्कि यहां भूखंड पर अनधिकृत रूप से मकान बनाकर लोगों को अवैध रूप से बेचने पर भी रोक लगेगी। शहरीकृत क्षेत्र में शामिल होने से अब भवन उपनियम में बदलाव कर यहां निजी बिल्डर बहुमंजिले फ्लैट तैयार कर सकेंगे। अब भू-मालिक लैंड पूलिंग योजना के लिए डीडीए को अपनी जमीन दे सकेंगे।

बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम-1957 के सेक्शन 507 के तहत 95 गांवों का ग्रामीण क्षेत्र का दर्जा

खत्म करते हुए इन्हें गत माह शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया था। इस फैसले से इन क्षेत्रों के कृषि उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल की विवशता खत्म हो गई है और अब इन्हें रियल एस्टेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

जमीन अधिग्रहण के पश्चात मुआवजे इत्यादि को लेकर हुए आंदोलनों और विकास के कार्य में आने वाली रुकावटों से निपटने के लिए ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने लैंड पूलिंग पॉलिसी की नीति तय क थी।

दिल्ली सरकार को भी विकास कार्यों के लिए मिलेगी पर्याप्त जमीन : दिल्ली में जमीन की कमी के चलते नए स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, बस डिपो आदि बनाने में दिल्ली सरकार को जो परेशानी हो रही थी, अब शहरीकृत गांवों में डेवलपमेंट क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद दिल्ली सरकार को भी उक्त कार्यों के लिए पर्याप्त जमीन मिलेगी। लैंड पूलिंग योजना के लागू होने पर दिल्ली सरकार ने डीडीए से विकास कार्यों के लिए जमीनें मांगी थी। डीडीए ने दिल्ली सरकार को पर्याप्त जमीन देने का वादा किया है।

योजना पर काम शुरू होने में अभी लगेगा समय

उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा लैंड पूलिंग योजना के तहत अब डीडीए को विकास कार्य शुरू करने की मंजूरी मिल गई। मगर वास्तविक रूप से इस योजना के तहत भू मालिकों से जमीन अधिग्रहण कर विकास कार्य शुरू करने में अभी दो से तीन महीने और लगेंगे। राजधानी के जिन 95 गांवों को शहरीकृत घोषित करते हुए विकास कार्य शुरू करने को मंजूरी दी गई है, इन गांवों में कृषि योग्य जमीनों का ब्योरा खसरा संख्या आदि का शहरी विकास विभाग रिकॉर्ड से मिलाएगा। इसके बाद यह दस्तावेज डीडीए को भी दिया जाएगा। डीडीए भू-मालिकों से लैंड पूलिंग योजना के लिए जमीन खरीदने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ताकि सिंगल विंडो सिस्टम से भू-मालिकों से जमीन अधिग्रहण करने में परेशानी ना हो और विकास कार्य की गाड़ी को रफ्तार मिल सके। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगेगा।